फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :-08.11.2024

थाना अमृतपुर/एसओजी व सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना से सम्बंधित 01 जोड़ी सफेद धातु की पायल व 01 नथुनी पीली धातु की व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर **श्री रवीन्द्र नाथ राय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस टीम ने एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 103/24 धारा-304(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1.** राहुल मिश्रा उर्फ लल्लू मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा नि0 शंकरपुर कोडर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर **2.** सानू पाण्डेय पुत्र सतप्रकाश पाण्डेय नि0 दोसपुर थोक थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर को 01 जोड़ी सफेद धातु की पायल व पीली धातु की 01 नथुनी व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) बीएनएन की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.राहुल मिश्रा उर्फ लल्लू मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा नि0 शंकरपुर कोडर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर।
2.सानू पाण्डेय पुत्र सतप्रकाश पाण्डेय नि0 दोसपुर थोक थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी रामनाथ उर्फ कमलेश पुत्र स्व0 रामस्वरूप नि0 करनपुर दत्त थाना अमृतपुर की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 27.10.24 को समय 16.30 बजे खुशाली नंगला व जगदीशानंद आश्रम के बीच रास्ते से 04 अज्ञात लोगों द्वारा छिनैती की घटना कारित कर एक जोड़ी सफेद पायल व एक नथुनी व एक कीपैड मोबाइल व 5000 रुपये झपट्टा मारकर ले गये थे उक्त प्रकरण में थाना अमृतपुर पर दिनांक 27.10.2024 को मु0अ0सं0 103/24 धारा-304(2) पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) बीएनएन की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछने पर अभियुक्तगण नें बताया कि साहब गलती हो गयी है माफ कर दीजिये। शेष सफाई हम अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देगें।

अभियुक्त राहुल मिश्रा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-194/24 धारा-392/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर।
2.मु0अ0सं0-275/24 धारा-309(4)/317(2) BNS थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर।
3.मु0अ0सं0-125/24 धारा-201/34/ 379 ए भादवि व थाना शमालखा जनपद पानीपत हरियाणा।
4.मु0अ0सं0-128/24 धारा-34/ 379 ए भादवि व थाना शमालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

अभियुक्त सानू पाण्डेय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-125/24 धारा-201/34/ 379 ए भादवि व थाना शमालखा जनपद पानीपत हरियाणा।
4. मु0अ0सं0-128/24 धारा-34/ 379 ए भादवि व थाना शमालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 पीली धातु की नथुनी
02. 500 रुपये
03. 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर यू0पी0 27 बी के 2528
04. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष अमृतपुर
2. उ0नि0 विमल कुमार
3. हे0का0 सनोज कुमार।
4. का0 नवीन कुमार।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली एसओजी/सर्विलांस टीम

1.उ0नि0 सचिन चौधरी एसओजी प्रभारी मय टीम।

2. उ0नि0 विशेष कुमार सर्विलांस प्रभारी मय टीम।

मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक-08.11.2024

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रत्येक ई-रिक्शा पर एक यूनिक नंबर अंकित कर की गयी एक नई पहल।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी तथा क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री एश्वर्या उपाध्याय द्वारा एक नई पहल की गयी जिसके तहत प्रभारी उ0नि0 यातायात द्वारा जनपद फतेहगढ़ मे चलने वाले प्रत्येक ई-रिक्शा को एक यूनिक नम्बर आवंटित कर लाल रंग से ई-रिक्शा के आगे व पीछे अंकित किया गया है। यूनिक नम्बर के आधार पर प्रत्येक ई-रिक्शा के चालक/स्वामी का रिकार्ड पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय मे सुरक्षित रखा गया है।

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा समस्त जनपद वासियों से अपील की जाती है कि ई-रिक्शा मे बैठने पर सामने शीशे पर लाल रंग से लिखे यूनिक नम्बर को आवश्य देख ले ताकि कोई अप्रिय घटना घटित होने पर पुलिस उक्त ई-रिक्शा चालक/स्वामी तक पहुँच सके तथा घटना का शीघ्र सफल अनावरण कर सके।

जनपद में चलने वाले ईरिक्शाओं पर एक यूनिक- नंबर अंकित कर देने से अन्य कई फायदे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है-

1. पहचान और निगरानी में आसानी:- यूनिक नंबर से प्रत्येक ई-रिक्शा की पहचान करना आसान होगा। इससे फतेहगढ़ पुलिस को ई-रिक्शों की निगरानी में मदद मिलेगी और अवैध संचालन पर काबू पाया जा सकेगा।

2. सुरक्षा:- यूनिक नंबर की मौजूदगी से फतेहगढ़ पुलिस को किसी भी आपातकालीन स्थिति में रिक्शा की ट्रैकिंग करना आसान होगा, जिससे अपराध या दुर्घटनाओं की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना सरल होगा।

3. संगठित संचालन:- यह कदम ई-रिक्शा संचालन को और अधिक व्यवस्थित बनाएगा। प्रत्येक रिक्शा को एक यूनिक नंबर सौंपने से उनकी स्थिति और चलने का रूट ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे अव्यवस्थित संचालन को रोका जा सकेगा।

4. सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि:- जब लोग देखेंगे कि रिक्शा पर एक यूनिक नंबर अंकित है, तो उन्हें अधिक सुरक्षा और पारदर्शिता का अहसास होगा। इससे सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि होगी और लोग ई-रिक्शा मे यात्रा करते समय असहज महसूस नही करेंगें।

5. विकास और सुधार:- यूनिक नंबर से संबंधित डेटा का उपयोग फतेहगढ़ पुलिस रिक्शा संचालन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कर सकती है, जैसे कि यातायात प्रवाह, मार्गों का अनुकूलन, या सुरक्षा उपायों को लागू करना।

अत: फतेहगढ़ पुलिस द्वारा एक नई पहल के तहत ई-रिक्शा पर यूनिक नंबर अंकित कर ई-रिक्शा की सेवा और संचालन को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-08.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि0गण 1. रमाकान्त पुत्र ओमप्रकाश 2. अवधेश दुबे पुत्र कन्हैयालाल 3. कुलदीप पुत्र अवधेश दुबे समस्त निवासी गण नगला विनायक थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 159/2006 वाद स0- 64/2008 धारा- 307,504,506 भा0द0वि0 थाना नवावगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 08.11.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-07 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसध्दि प्रत्येक को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी - श्री संजीव मिश्रा

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सचिन कुमार

पैरोकार का0 कृष्णवीर